मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./आईटीसी/258/1276 भोपाल दिनांक 13/05/2022

प्रति,

शाखा प्रबंधक
आईटीसी लि - एबीडी
तीसरी मंजिल, कॉर्पोरेट जोन, सी 21 मॉल
एनएच - 12, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल।

विषयः-मेसर्स आईटीसी लि-एबीडी को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति मे दो क्रय केन्द्र मे वाणिज्यिक संव्यवहार हेतु जोडे जाने के संबंध में।

सन्दर्भ - आपका आवेदन दिनांक 26/04/2022

म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार किये जाने हेतु 58 विनिर्दिष्ट मंडियों मे 26 मंडियों के अंतर्गत 38 क्रय केन्द्र स्थापित करने एवं 32 मंडियों में वाणिज्यिक संव्यवहार की अनुमति इस प्रकार कुल 70 क्रय केन्द्र/वाणिज्यिक संव्यवहार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2022 स्वीकृत की गई है।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन मे निम्न अतिरिक्त् विनिर्दिष्ट मंडियो मे वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत कारोबार करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	मण्डी समिति का नाम	कृषि उपज का नाम	व्यापार विवरण	क्रय केन्द्र
1	नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम	तिलहन/धान्य तथा दलहन	वाणिज्यिक संव्यवहार	निरंक
2	रायसेन जिला रायसेन	तिलहन/धान्य तथा दलहन	वाणिज्यिक संव्यवहार	निरंक

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 एवं (यथासंशोधित) नियम 2009 के अधीन संशोधित नियम 6 समूह नियम किये गये है और तदानुसार नियम 6 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के नियत समूहवार प्रतिभूति की राशि निम्नानुसार नियत की गई है।

मेसर्स आईटीसी लि-एबीडी को पूर्व मे जारी विशेष अनुज्ञप्ति 58 विनिर्दिष्ट मंडियों मे 26 मंडियों के अंतर्गत 38 क्रय केन्द्र स्थापित करने एवं 32 मंडियों में वाणिज्यिक संव्यवहार की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त् क्रये केन्द्रो पर खरीदी पर खरीदी हेतु राशि रूपये 02 करोड की बैंक गारंटी मण्डी बोर्ड मे जमा है जिसकी अवसान तिथि 10 मई 2027 तक है।

D:\...

अतः मेसर्स आईटीसी लि-एबीडी के द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी के आधार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम **1972** की धारा 32-क के अधीन म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथासंशोधित) के नियम 2009 के तहत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2022 मे 02 स्थानो पर वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए जोडे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म**0**प्र**0** राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./आईटीसी/258/ 1277 भोपाल दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स आईटीसी लि-एबीडी भोपाल को म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति मे विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल (क)-सब्जी फल तथा फूल, (घ)-"तिलहन", (ङ)-"धान्य तथा दलहन" एवं (च)- वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.................................. जिला................................ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति जो अधिसूचित कृषि उपज केवल (क)-सब्जी फल तथा फूल, (घ)-"तिलहन", (ङ)-"धान्य तथा दलहन" एवं (च)- वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज" के लिए स्वीकृत की गई है, की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. अपर संचालक (आई.टी सेल), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स आईटीसी लि-एबीडी भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx